म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
26, किसान भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल

क्रमांक/बी-6/नियमन/हैफेड/211/1274 भोपाल दिनांक 13/05/2022

प्रति,

प्रबंध संचालक
हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति और
विपणन संघ लिमिटेड (हैफेड)
कोरपोरेट ऑफिस, सेक्टर 5, पंचकुला
हरियाणा

विषयः-म.प्र.कृषि उपज मण्डी (एक से अधिक मण्डी क्षेत्रों के लिये विशेष अनुज्ञप्ति) नियम-2009 (यथासंशोधित) के अधीन नवीन विशेष अनुज्ञप्ति स्वीकृत करने के संबंध मे

संदर्भः-हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति और विपणन संघ लिमिटेड (हैफेड) का आवेदन दिनांक 11/05/2022

म.प्र. कृषि उपज मण्डी (एक से अधिक मण्डी क्षेत्रों के लिये विशेष अनुज्ञप्ति) नियम-2009 (यथासंशोधित) के अध्यधीन प्रदेश के विभिन्न् मण्डी क्षेत्रो मे क्रय विक्रय हेतु प्ररूप-एक मे विशेष अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन दिनांक 11/05/2022 प्रस्तुत किया है। उक्त आवेदन मे, हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति और विपणन संघ लिमिटेड (हैफेड) के द्वारा मध्यप्रदेश के समस्त मण्डी क्षेत्र, समस्त मण्डी प्रांगण एवं उपमण्डी प्रांगण मे अधिसूचित कृषि उपज गेहूँ के क्रय हेतु अनुमति चाही गई है।

2/ आवेदक हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति और विपणन संघ लिमिटेड (हैफेड) का रजिस्टार, कोपरेटिव सोसायटी पंजाब मे पंजीकरण क्रमांक 656 दिनांक 15/9/1966 है।

3/ हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति और विपणन संघ लिमिटेड (हैफेड) को समस्त मंडी समितियो मे अधिसूचित कृषि उपज गेहूँ के क्रय से संबंधित विक्रेता के साथ प्ररूप-पांच मे करार, प्ररूप-छः विक्रय बाउचर तथा मण्डी समिति के कार्यालय मे, क्रय-विक्रय से संबंधित प्ररूप-सात मे पाक्षिकी विवरण, प्ररूप-आठ मे दैनिक क्रय विवरण, उपाबंध-एक एवं अधिसूचित कृषि उपज के विक्रय/निर्गमन के संबंध मे उपाबंध-दो मे पाक्षिक विवरणी प्रस्तुत करना अनिवार्य है। संबंधित प्ररूपो की छायाप्रति संलग्न है।

4/ म0प्र0 कृषि उपज मण्डी (एक से अधिक मण्डी क्षेत्रों के लिये विशेष अनुज्ञप्ति) नियम, 2009 (यथासंशोधित) के नियम 7 (दो) में एक से अधिक मंडी क्षेत्रों में अधिसूचित कृषि उपज गेहूँ के क्रय हेतु मंडी/उपमंडी का नाम और मंडी क्षेत्र मे स्थित स्थानों आदि का विवरण देना प्रावधानित है, जिसके अनुसार हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति और विपणन संघ लिमिटेड

(हैफेड) द्वारा समय-समय पर कृषि उपज के खरीदी/विक्रय के स्थान/केन्द्रो की मंडी बोर्ड एवं संबंधित मंडी समितियों को यथासमय जानकारी उपलब्ध करवाई जाये।

5/ मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, **1972** की धारा **32**-क के अधीन म**0**प्र**0** कृषि उपज मण्डी (एक से अधिक मण्डी क्षेत्रों के लिये विशेष अनुज्ञप्ति) नियम, **2009** (यथासंशोधित) के नियम **4, 8, 10, 12** के अनुसार हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति और विपणन संघ लिमिटेड (हैफेड) को समस्त मंडी समितियो मे मध्यप्रदेश राज्य के समस्त अधिसूचित मंडी प्रांगण, उपमण्डी प्रांगण एवं मंडी क्षेत्रों मे अधिसूचित कृषि उपज केवल धान्य तथा दलहन के अंतर्गत गेहूँ के क्रय-विक्रय के लिए एक दिन की अधिकतम क्रय क्षमता के मूल्य के समतुल्य प्रतिभूति जमा करने पर ही क्रय की पात्रता होगी, तदानुसार इस शर्त के अध्याधीन अनन्तिम रूप से एक वर्ष के लिये यह विशेष अनुज्ञप्ति स्वीकृत की जाती है। विशेष अनुज्ञप्ति का प्ररूप-**3** में परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

संलग्न:-परिशिष्ट-अ

(विकास नरवाल)
प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म**0**प्र**0** राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

D:\SANDEEP BIRARE\LETTER NEW SANDEEP.docx

क्रमांक/बी-6/नियमन/हेफेड/211/ 1275 भोपाल दिनांक 13/05/2022

प्रतिलिपि:-

1. संयुक्त/उप संचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय भोपाल/इंदौर/उज्जैन/जबलपुर/सागर/ग्वालियर/रीवा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु। **हरियाणा** राज्य सहकारी **आपूर्ति और विपणन संघ लिमिटेड (हैफेड)** को म.प्र. कृषि उपज मण्डी (एक से अधिक मण्डी क्षेत्रो के लिये विशेष अनुज्ञप्ति) नियम, **2009** (यथासंशोधित) के नियम **4, 8, 10, 12** के अधीन **अधिसूचित कृषि उपज केवल धान्य तथा दलहन** के अंतर्गत गेहूँ के लिए स्वीकृत की गई है । अनुज्ञप्तिधारक द्वारा अधिनियम, नियम एवं उपविधियो का पूर्ण पालन सुनिश्चित करावे। साथ ही आपके स्तर से इस विषय की जानकारी संभाग की समस्त कृषि उपज मण्डी समिति को दी जाये।

2. सचिव कृषि उपज मण्डी समिति................................ जिला.............................. म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति और विपणन संघ लिमिटेड (हैफेड) को कृषि उपज मण्डी (एक से अधिक मण्डी क्षेत्रो के लिये विशेष अनुज्ञप्ति) नियम, **2009** (यथासंशोधित) के नियम **4, 8, 10, 12** के अधीन जारी उपरोक्तानुसार **अधिसूचित कृषि उपज धान्य तथा दलहन** के अंतर्गत गेहूँ के लिए स्वीकृत की गई है । अनुज्ञप्तिधारक द्वारा अधिनियम, नियम एवं उपविधियो का पूर्ण पालन सुनिश्चित करावे। छायाप्रति संलग्न कर भेजी जा रही है।

3. अपर संचालक (आई.टी सेल), म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल। विशेष अनुज्ञप्तिधारी **हरियाणा** राज्य सहकारी **आपूर्ति और विपणन संघ लिमिटेड (हैफेड)** को स्वीकृत विशेष अनुज्ञप्ति को ई-अनुज्ञा मॉड्यूल मे आवश्यक प्रविष्टि किया जाये।

प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

D:\SANDEEP BIRARE\LETTER NEW SANDEEP.docx

परिशिष्ट-अ

प्ररूप - तीन

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अधिसूचित प्राधिकारी/अधिकारी कार्यालय

किसान भवन, 26 अरेरा हिल्स, भोपाल

विशेष अनुज्ञप्ति क्रमांक/एस.एल./2020/17 दिनांक 13/05/2022

(एक से अधिक मण्डी क्षेत्रों मे अधिसूचित कृषि उपज के कारोबार के लिए विशेष अनुज्ञप्ति)

1 **हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति और विपणन संघ लिमिटेड (हैफेड)** को अधिनियम की धारा 32-क के अधीन निम्नांकित एक से अधिक मंडी क्षेत्र में अधिसूचित कृषि उपज के कारोबार हेतु तारीख 13 माह 05 वर्ष 2022 को विशेष अनुज्ञप्ति अनंतिम रूप एक वर्ष के लिए दी जाती है :-

अनु क्र0	अधिसूचित कृषि उपज का नाम जिसके कारबार हेतु विशेष अनुज्ञप्ति स्वीकृत/की गई है।	विनिर्दिष्ट मण्डी क्षेत्र का नाम, जिसमें कारबार हेतु अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है	संबंधित मंडी समिति का नाम	विनिर्दिष्ट मंडी क्षेत्र के अधीन अनुमोदित क्रय केन्द्रों के नाम	कारबार का स्थान, कार्यालय का पता	कार्यालय प्रमुख का नाम, पदनाम एवं पता
	धान्य तथा दलहन के अंतर्गत गेहूँ	समस्त अधिसूचिंत मण्डी क्षेत्र	अधिसूचित कृषि उपज मंडी समिति समस्त	-	हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति और विपणन संघ लिमिटेड (हैफेड) कोरपोरेट ऑफिस, सेक्टर 5, पंचकुला हरियाणा	हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति और विपणन संघ लिमिटेड(हैफेड) कोरपोरेट ऑफिस, सेक्टर 5, पंचकुला हरियाणा

2. इस अनुज्ञप्ति के अधीन अनुज्ञप्तिधारक के लिये यह अनिवार्य होगा कि वह वित्तीय वर्ष मे अधिसूचित कृषि उपज की न्यूनतम मात्रा क्रय करे:

अनु क्र0	अधिसूचित कृषि उपज का नाम	प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कय की जाने वाली न्यूनतम मात्रा (मे0टन में {नियम 4 (2) देखिए}
1	धान्य तथा दलहन के अंतर्गत गेहूँ	2000 मे0टन

3. यह विशेष अंनतिम अनुज्ञप्ति दिनांक ..13../05/2022 से....12../05/2023 तक प्रभावशील रहेगी, परन्तु अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों एवं उपविधियों के उल्लंघन पर किसी भी समय निलंबित या रदद की जा सकेगी।

4. यह अंनतिम अनुज्ञप्ति निम्नलिखित मुख्य आधारों पर निलंबित या रदद की जा सकेगी:-

(एक) विनिर्दिष्ट मण्डी क्षेत्र मे कृषकों को उनकी कृषि उपज का देय भुगतान न करने पर,

(दो) मण्डी फीस, निराश्रित शुल्क का भुगतान अधिनियम, नियमों एवं उपविधियों के अधीन उपबंधों के अनुसार तथा विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर न करने पर,

(तीन) मण्डी फीस का अपंवचन करने, जारी अनुज्ञापत्र, रसीदे या अन्य जाली मण्डी अभिलेखों का संधारण करने तथा जाली दस्तावेज प्रस्तुत करने या कराया जाना पाये जाने पर,

(चार) मण्डी समितियों या बोर्ड, को देय रकम का सूचना-पत्र के अनुसार समय-सीमा के भीतर भुगतान न करने पर, व्यतिक्रमी पाये जाने पर,

(पॉच) अधिनियम, नियमों तथा उसके अधीन बनाई गयी उपविधियों द्वारा नियत समय-सीमा के भीतर विहित नियतकालिक विवरणियॉ प्रस्तुत न करने पर,

(छः) बोर्ड, मण्डी समिति से जारी किये गये निर्देशों की अवज्ञा किया जाना पाये जाने पर,

(सात) अधिसूचित कृषि उपज का न्यूनतम विहित मात्रा में क्रय न किये जाने पर

अनुज्ञप्ति जारीकर्ता
कार्यालय की मोहर

अधिसूचित प्राधिकारी/ अधिकारी
प्रबंध संचालक सह आयुक्त
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

कार्यालय
अधिसूचित प्राधिकारी/अधिकारी
प्रबंध संचालक
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल (म.प्र.)